[illegible] पत्रावली पेश। वकील वादिया अनुपस्थित। [illegible] 3-9-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

3-9-20 पत्रावली पेश। वकील वादिया उप0। बहस विद्वान अधिवक्ता वादियां सुनी गई। वकील प्रतिवादी को आवाज लगाई गई। वकील प्रतिवादी अनुपस्थित है। बहस विद्वान अधिवक्ता वादियां सुनी गई। वास्ते आदेश 9.9.20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

9-9-20 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित है। पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। वादिया के वादपत्र, अपेक्षित अनुतोष, जवाब दावा, जवाब का अनुतोष, उभयपक्ष के साक्ष्य, जिरह आदि पर सम्यक विचार किया गया। बहस पर मनन किया गया।

तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है।

(1) इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया पर था। वादियां द्वारा स्वयं के शपथ पत्र के साथ प्रदर्श-1 एवं वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत की है। वादग्रस्त भूमि मूलतः किशनलाल की अपनी स्वीकार की गई है। चूंकि किशनलाल की मृत्यु के उपरान्त किशनलाल के वारिसान

का नाम ग्राम चैन्चर की ग्राम ... उक्त है माम वारिसां का नाम दर्ज होने से रहा है।
अंत: यह तनकी इसी प्रकार बहक वारिसां तय की जाती है।

(2) इस तनकी का भार वारिसां पर था। वारिसां द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ-पत्र पर जिरह के दरम्यान ऐसा कोई तथ्य जाहिर नहीं आया जिससे यह प्रतीत होता हो कि वारिसां को किशनलाल द्वारा अपनी संपत्ति से वंचित किया गया हो, या वारिसा किशनलाल की वारिस नहीं हो।

इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वारिसां द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व प्रतिवादी नम्बर 2-1 द्वारा वादिया एवं बकाया प्रतिवादी के विरुद्ध धारा 136 L.R. Act के प्रस्तुत किया उसमें वारिसा को किशनलाल की पुत्री होना अंगीकार किया है।

इस प्रकार वारदात उक्त ग्राम चैन्चर के पूर्व खातेदार किशनलाल लोधा की पुत्री होने के आधार पर वारिसां किशनलाल की संपत्ति में उसके बकाया वारिसान के समान ही स्वत्व रखती है।

अत: यह तनकी बहक वारिसां तय की जाती है।

(3) इस तनकी का भार वारिसां पर था। तनकी नम्बर 1 व 2 के विवेचन एवं विश्लेषण के आधार यह तय है, कि ग्राम चैन्चर की उक्त खसरा नम्बर 1803, 1804, 1809, 1810 किता 4 रकबा 6.04 हेक्टर पर किशनलाल के हिस्से पर उसके वारिसान की हैसियत

हुक्म की तामील में जारी हुए

रखती है। चूंकि वादिया द्वारा कोई विवाद्यक
चाह कर अपना हिस्सा पृथक से दर्ज करने का
अनुतोष नहीं चाहा है। इस कारण वादिया की
कुल 6.04 हेक्टर भूमि पर सहखातेदार की
ही भूमिका रह जाती है। एक सहखातेदार
दूसरे सहखातेदार के विरुद्ध धारा 188
का अनुतोष सामान्यतः प्राप्त का अधिकारी नहीं
होता है। लिहाजा यह तनकी इसी प्रकार
अंशतः बहक वादियाँ तय की जाती है।

(4) इस तनकी का भार अर्थात सिद्ध करने का भार
प्रति० पर था। प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य
प्रस्तुत नहीं किया। अतः यह तनकी खिलाफ
प्रतिवादीगण तय की जाती है।

(5) इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रति०
पर था। प्रति० द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं
किया। लिहाजा यह तनकी खिलाफ प्रतिवादीगण
तय की जाती है।

(6) इस तनकी का भार प्रतिवादीगण पर था।
प्रतिवादीगण द्वारा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया।
अतः यह तनकी खिलाफ प्रतिवादीगण बहक
वादियाँ तय की जाती है।

(7) तनकी नम्बर 1 से 6 के विवेचन तथा
निष्कर्ष के आधार पर वाद वादिया
अंशतः स्वीकार योग्य पाया जाता है।
अतः [illegible] के आधार पर
... अंशतः -

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका[म] हुक्म [...] में ज[...]
	स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है कि ग्राम चेचट की कृषि खसरा नम्बर 1803, 1804, 1809 व 1810 पर किसनलाल के हिस्सा 1/4 में किसनलाल के बजाय वारिसान के समभाग में खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार ही रिकार्ड में अमल दरामद हो। डिक्री मुरत्तिब हो। पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर बाद तामील तकमील प्रविष्ट लेख भण्डार हो। निर्णय आज दिनांक 9/09/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया। [signature] (देशल दान) I.A.S.	

फाईनल डिकरी व मुकद्दमे [सरकारी]

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, ज़ाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'–1)

मुकाम— रामगंजमण्डी

अज अदालत— उपखण्ड अधिकारी

ब इजलास— देशल दान (I.A.S.)

बनाम— रामचन्द्र

अयोध्याबाई

दावा बाबत— 88, 89, 188 R.T. Act 1955

सन् — 2017

मुकद्दमा नं. — 210

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू — देशल दान — I.A.S. — मिनजानिब मुद्दई व

बहाजरी — श्री हबीब नूर एड — मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादिया अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम चैन्चर की खसरा नं. 1803, 1804, 1809, 1810 पर खातेदार के हिस्से में खातेदार घोषित किया जाता है खातेदार के बकाया वारिसान के समभाग में खातेदार घोषित किया जाता है रिकार्ड में अमल दरामद हो।

बाबत —

चीज — मुबालिग — फीसदी सालाना आज की तारीख

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह — को अदा करे।

से तारीख वसूलयाबी तक — 09 — माह 09 — 2020

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख

को जारी की गई।

दस्तखत — उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

ओहदा —

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान ...		
मीजान....					

नोट—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। वाद व्यय पक्षकार अपना-अपना वहन करें

उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

रा. मु. को. 139-2006-1,00,000 फार्म